न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 13 / 2016

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 राजेन्द्र सिंह पुत्र मालसिंह पुत्र जमन सिंह जाति राजपूत निवासी मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

बनाम

1 नारायणी पत्नी माला पुत्र घीसा।
2 रामसहाय पुत्र माला पुत्र घीसा।
3 कृष्ण कुमार पुत्र माला पुत्र घीसा।
4 मीरा पुत्री माला पुत्र घीसा।
5 लक्ष्मी पुत्री माला पुत्र घीसा।
6 ग्यारसी देवी पुत्री माला पुत्र घीसा।
7 शान्ति पत्नी भूरा पुत्र ईसरा।
8 सेडूराम पुत्र भूरा पुत्र ईसरा।
9 बसन्ता पुत्र भूरा पुत्र ईसरा।
10 रतन पुत्र भूरा पुत्र ईसरा।

11 राधेश्याम पुत्र भूरा पुत्र ईसरा।
12 रोहिताश पुत्र भूरा पुत्र ईसरा।
13 मंगल पुत्र भूरा पुत्र ईसरा ।
14 कमली पुत्री भूरा पुत्र ईसरा।
15 तीजा पुत्री भूरा पुत्र ईसरा।
16 धन्नी पुत्री भूरा पुत्र ईसरा।
17 सुमित्रा पुत्री भूरा पुत्र ईसरा जाति समस्त कुम्हार निवासीगण मावण्डा कंला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
18 बजरंग सिंह पुत्र नारायण सिंह पुत्र जमन सिंह।
19 करण सिंह पुत्र नारायण सिंह पुत्र जमन सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
20 पटवारी हल्का मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
21 तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।
22 उप पंजीयक नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.ए. विरूद्व आदेश 20.01.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर पीठासीन अधिकारी सत्यवीर यादव (आर.ए.एस) मु0 नं0 323/2012 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बउनवान राजेन्द्र प्रसाद बनाम नारायणी देवी आदि

अपील संख्या 66/2016

1 राजेन्द्र सिंह पुत्र मालसिंह जाति राजपूत उम्र 45 वर्ष निवासी मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

आवेदक

बनाम

1 जयसिंह पटवारी पटवार हल्का मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 राजेन्द्र प्रसाद कुमावत पुत्र नथूराम जाति कुमावत सरपंच ग्राम पंचायत मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के अस्थायी व्यादेश की अवज्ञा/अवहेलना करने पर अवमानना की कार्यवाही

उपस्थित

1. श्री अमर सिंह सुण्डा अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभाती लाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—31.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 323/2012 में पारित निर्णय दिनांक 20.01.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। प्रकरण में अपीलांट की और से अवमानना आवेदन भी प्रस्तुत किया गया। दोनों के पक्षकार समान होने से दोनों का निर्णय एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में पृथक—पृथक रखी जावे।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने अप्रार्थीगण रेस्पोडेंट के विरूद्व विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 671,673,674,675,676,677/2,678, 697 वाके ग्राम मावण्डा कलां के सन्दर्भ में प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 677, 677/1,677/2/1,677/2/2 के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा चाही। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र

खारिज किया है। जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत हुई है। इसी अपील में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2016 को रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए स्थगन जारी किया गया था। जिसकी नकल 05.02.2016 को पटवारी जयसिंह एवं सरंपच राजेन्द्र प्रसाद कुमावत को दे दी गई थी एवं तहसीलदार नीमकाथाना को भी दे दी गई थी। इसके उपरान्त भी दिनांक 20.02.2016 को नामान्तकरण संख्या 181 भर दिया गया जो न्यायालय के स्थगन आदेश की अवमानना है अत आवेदन अवमानना स्वीकार किया जावें। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि सौ रूपये के स्टॉम्प पर लिखा पढ़ीकर भूमि हमारे कब्जे काश्त में चली आ रही है अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में होना है तब तक रिकार्ड के यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जावे। इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की अवहेलना कर नामान्तकरण भरा गया है जो दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है अत अवमानना आवेदन स्वीकार किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने धारा 19 के तहत भरे गये नामान्तकरण संख्या 214 को चुनौति नही दी है। अपीलांट रिकार्डेड खातेदार नही है कब्जा साबित नही है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है अपील खारिज की जावें।

अवमानना प्रार्थना पत्र के अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि इस न्यायालय के स्थगन आदेश की प्रति उन्हे उपलब्ध नही करवाई गयी थी स्थगन का संज्ञान उन्हे नही था आवेदक ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है जिससे स्थगन का संज्ञान अप्रार्थीगण को होना साबित होता हो। आवेदन खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड सरंपच ग्राम पंचायत मावण्डा कलां एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट, जमाबन्दी लगान रसीद, खसरा गिरदावरी का विवेचन कर विवादित भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त एंव खातेदारी प्रमाणित मानते हुये प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के विरूद्व एवं रेस्पोडेंट के पक्ष में पाया है इसी प्रकार अन्यथा आदेश तक सुविधा का सन्तुलन भी अपीलांट के विरूद्व रेस्पोडेंट के पक्ष में पाया है। रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार होने से अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी रेस्पोडेंट के पक्ष में पाया है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का बिन्दुवार विवेचन कर प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज किया है। जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अवमानना आवेदन, अप्रार्थीगण के जवाब का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा ऐसी कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है जिनसे यह प्रमाणित होता हो कि इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तिरिम स्थगन की प्रति आवेदक द्वारा अप्रार्थीगण को दी गई है। अथवा इस स्थगन का संज्ञान अप्रार्थीगण को हो गया हो। ऐसी स्थिति में अवमानना आवेदन खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट एवं अवमानना आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

31.X.18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर